बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 12.06.26

सं0–8ए/आ0(राज0नि0)–1–195/2026 3634 /श्री अमरेन्द्र कुमार, जिला अवर निबंधक, सुपौल के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–3204 दिनांक–11.05.2026 द्वारा थाना कांड सं0–06/26 दिनांक–05.05.2026 धारा–13(2) सह पठित धारा 13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0–1988 (यथा संशोधित–2018) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किये जाने की सूचना दी गयी है। अतएव श्री अमरेन्द्र कुमार, जिला अवर निबंधक, सुपौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री अमरेन्द्र कुमार का मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया जी निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री अमरेन्द्र कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भता भुगतेय होगा।

4. श्री कुणाल गोस्वामी, अवर निबंधक, गणपतगंज को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अवर निबंधक, सुपौल का प्रभार प्रदान किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/6/2026

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

सं0–8ए/आ0(राज0नि0–1–195/2026 3634 पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं0–8ए/आ0(राज0नि0–1–195/2026 3634 पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सुपौल/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया जी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया जी/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अमरेन्द्र कुमार, जिला अवर निबंधक, सुपौल/श्री कुणाल गोस्वामी, अवर निबंधक, गणपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

12/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

12/6/26